N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0259 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/11/2024 18:38 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 10/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:38 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/11/2024 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/11/2024 18:38:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TEHSIL KARYALYA CHOMU, DISTRICT JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KAILASH CHAND MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): PRBHAT MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1978 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM MANDHA BHINDA, CHOMU, CHOMU, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM MANDHA BHINDA, CHOMU, CHOMU, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIJAYPAL VISHNOI		पिता:KRISHAN LAL	1. GRAM SARDARPURA BIKA,SURATGARH,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
2	KALURAM YADAV		पिता:MUKTI RAM YADAV	1. GRAM KHEJROLI,CHOMU,CHOMU,JAIPUR

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 09.09.2024 को परिवादी श्री कैलाश चंद मीणा पुत्र श्री प्रभात मीणा, निवासी-ग्राम मण्डा भिण्डा, तहसील चौमूं जिला जयपुर ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " मेरी कृषी भुमी प्रगती नया बास(मण्डा भिण्डा त. चौमूं के खसरा न. 1844/960 है। जिसमें से 2500 मी व 10000 मीटर की दो फाईल तहसील कार्यालय में भुमि का आधोगीग भुमी रूपांतरण करवाने हेतु आवेदन कर रखा है जिसके बदले में चौमूं तहसीलदार गिरदावर एसडीएम साहब के नाम पर भुमि रूपातंरण के ऐवज में तहसीलदार का रीडर कालुराम यादव रिस्वत के सात लाख पच्चास हजार (750000) रू माग रहा है व मे रिस्वत नहीं देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी इनसे आपसी कोई रंजिस नहीं है और ना ही हमारा कोई लेनदेन बकाया है। कार्यवाही करने की कृपा करें।इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण को अपने कक्ष में बुलाया और श्री कैलाश चंद मीणा पुत्र श्री प्रभात मीणा, निवासी-ग्राम मण्डा भिण्डा, तहसील चौमूं जिला जयपुर से मेरा परिचय करवाया एवं उसके द्वारा पेष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मन् पुलिस निरीक्षक को आवष्यक विधिक कार्यवाही करने का पृष्ठांकन कर सुपुर्द किया। इस पर मैं श्री कैलाष चंद को साथ लेकर अपने कक्ष में आया और उक्त लिखित रिपोर्ट के सबंध में दरियाफ्त कि तो परिवादी श्री कैलाश चन्द्र मीणा ने उपरोक्त तथ्यों की पुनरावृति की। इस प्रकार परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाता हैं जिसका मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से रिश्वत मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। जिस हेतु कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री मनीष सिंह कानि0 नं0 486 को तलब कर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (32 जीबी सनडिस्क कम्पनी का) मंगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी व कानि0 श्री मनीष सिंह कानि0 नं0 486 का आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से कानि0 श्री मनीष सिंह कानि0 नं0 486 को अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड लगाया गया, बाद उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा मेमोरी कार्ड दोनों को परिवादी के समक्ष खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी तथा कानि0 दोनों को दिखाया गया। जिस पर उपस्थित परिवादी श्री कैलाश चन्द मीणा ने बताया कि अभी चौमूं जाकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाना संभव नहीं क्योंकि इस समय संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय बंद करके जा चुके हैं तथा यहां से चौमूं जाने में समय भी लगेगा, इसलिये मैं कल चौमूं जाकर रिश्वत मांग सत्यापन करवा सकता हुॅ। आप मनीष सिंह कानि. नं.486 जी को कल चौमूं बाईपास पर भेज दो वहाँ से हम चौमूं तहसील कार्यालय चले जायेगें। इस पर परिवादी को हिदायत की गई कि कल श्री मनीष सिंह कानि. आपके पास डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर चौमूं आ जायेगा, आप इनके साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करावें तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर कानि0 श्री मनीष सिंह कानि. नं. 486 को सुपुर्द कर कल दिनांक 10.09.2024 को परिवादी द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर परिवादी को साथ लेकर रिश्वत मांग सत्यापन कराने की हिदायत की गई तथा परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 10.09.2024 को समय 10.37 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री मनीष सिंह कानि. ने जरिये व्हाट्सएप मैसेज कर बताया कि मैं सुबह 09.30 ए.एम. पर जयपुर से रवाना हो गया था तथा मेरी परिवादी से वार्ता हो गई थी। वह मुझे चौमूं बाईपास के पास मिल जायेगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि. मनीष सिंह को निर्देश दिया कि आप परिवादी के बताये गये स्थान चौमूं बाईपास पर जाकर परिवादी से सम्पर्क करें साथ ही हिदायत की गई कि संदिग्ध के पास वार्ता हेतु जाने से पूर्व परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुनः आवश्यक समझाईस कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सुपुर्द करें एवं मांग सत्यापन करवायें, यथा संभव संदिग्ध अधिकारी व परिवादी के मध्य मांग सत्यापन के दौरान होने वाली वार्ता के समय देखने तथा सुनने का प्रयास करें। दिनांक 10.09.2024 को समय 6.38 पी.एम पर श्री मनीष सिंह कानि. 486 ने जरिये व्हाट्सएप मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि मै चौमूं बाईपास पर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी चौमूं बाईपास

पर उपस्थित मिला। जहा से हम चौमूं तहसील कार्यालय के बाहर पहुंचे। परिवादी ने बताया कि तहसीलदार जी ज्यादातर फील्ड में रहते हैं शाम के समय आफिस में बैठते हैं, एक बार मालूम कर लेता हुं कि वो तहसील में हैं या नहीं। इस पर परिवादी तहसील कार्यालय में गया और मैं तहसील कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। समय 11.40 एएम पर परिवादी पुनः मेरे पास आया व बताया कि तहसीलदार जी अभी आफिस में नहीं हैं। जिस पर मैं व परिवादी तहसील कार्यालय के बाहर ही इन्तजार करने लगे। सांयकाल के समय परिवादी ने बताया कि तहसीलदार जी आफिस में आ गये हैं, जिस पर मैंने परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर तहसीलदार एवं उनके रीडर से मिलने के लिए तहसील कार्यालय के अन्दर रवाना किया मैं तहसील कार्यालय परिसर के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते परिवादी के इन्तजार में मुकीम रहा। समय लगभग 6.00 पीएम पर परिवादी मेरे पास उपस्थित आया व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिस पर मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर मेरे पास सुरक्षित रख लिया है। परिवादी ने अवगत कराया की तहसीलदार जी ने रिश्वत के सम्बन्ध में अपने रीडर के मार्फत 2500 मीटर भूमि के कन्वर्जन की फाईल के लिऐ 80 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से 2 लाख रूपये मांगे है तथा 10,000 मीटर भूमि का कन्वर्जन बिजली विभाग से हाईटेंषन लाईन हटवाने के बाद में करना कहा है। परिवादी ने बताया कि तहसीलदार जी ने मेरे से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में सीधी वार्ता नहीं करके रीडर के मार्फत रिश्वत की मांग की है। हालात चौकी प्रभारी को निवेदन कर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री मनीष सिंह कानि को हिदायत की कि आप कल पुनः परिवादी से मिलकर तहसीलदार से रिश्वत मांग का सत्यापन करवायें तथा परिवादी को भी मुनासिब हिदायत की गई। दिनांक 11.09.2024 को समय 04.00 पी.एम. पर श्री मनीष सिंह कानि. 486 ने जरिये व्हाट्सएप मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि मै चौमूं बाईपास पर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी चौमूं बाईपास पर उपस्थित मिला। जहा से हम चौमूं तहसील कार्यालय के बाहर पहुंचे, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर तहसीलदार कार्यालय रवाना किया। मैं भी सुरक्षित दूरी बनाकर परिवादी के आस-पास मुकीम रहा। थोड़ी देर बाद परिवादी तहसील कार्यालय के बाहर आया, जिससे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि तहसीलदार अपने कार्यालय में नहीं हैं किन्तु रीडर कालूराम यादव मिला था। कालूराम यादव ने कहा कि गिरदावर ने मेरे बारे में सावचेत रहने व कोई बात नहीं करने के लिए कहा है। जिस पर मैं एवं परिवादी संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित आने का इन्तजार करते रहे, लेकिन संदिग्ध अधिकारी अभी तक कार्यालय में उपस्थित नहीं आया है। परिवादी ने बताया कि गिरदावर ने तहसीलदार व उनके रीडर को मेरे से बातचीत करने से बचने की कह दी है जिससे अब तहसीलदार व उनका रीडर मेरे से रिश्वत के बारे में वार्ता करने में सतर्क हो गये हैं और शायद अब मेरे काम की एवज में रिश्वत राशि की किसी प्रकार की मांग की वार्ता नहीं करेगें। जिस पर श्री मनीष सिंह कानि. को परिवादी को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत करने तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखने की हिदायत मुनासिब कर दिनांक 12.09.2024 को कार्यालय समय पर उपस्थित आने की हिदायत की गई। दिनांक 12.09.2024 समय 11.00 ए.एम पर कानि0 श्री मनीष सिंह कानि. 486 व परिवादी श्री कैलाश चन्द मीणा उपस्थित ब्यूरो मुख्यालय आये व श्री मनीष सिंह, कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी व संदिग्ध अधिकारी तहसीलदार के रीडर श्री कालुराम के बीच हुई वार्ता सेव हैं। परिवादी ने बताया कि रीडर श्री कालुराम ने 10,000 मीटर जमीन रूपान्तरण के 60 रूपये मीटर तथा 2500 मीटर जमीन के रूपान्तरण के 80 रूपये मीटर के हिसाब से क्रमशः 6 लाख व 2 लाख रूपये स्वयं, तहसीलदार व एसडीएम साहब के लिए मांगे हैं। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाकर वॉयस क्लिप को सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई। संदिग्ध अधिकारी तहसीलदार व उसके रीडर श्री कालुराम द्वारा परिवादी की जमीन को औधोगिक भूमि रूपान्तरण करने की एवज में रिश्वत राशि 8 लाख रूपये की मांग करना प्रथम दृष्ट्या पाया गया है। जिस पर परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास रिश्वत राशि के रूप में देने के लिये पैसे की व्यवस्था नहीं हैं, जैसे ही मेरे पास रिश्वती राशि के पैसे की व्यवस्था हो जायेगी मैं आपको सूचित कर दुंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 25.09.2024 समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री कैलाष चंद मीणा उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं कल सीधे ही संदिग्ध अधिकारीगण के पास गया था, लेकिन संदिग्ध अधिकारी तहसीलदार के रीडर श्री कालुराम यादव ने मुझसे ज्यादा बात न करके कहा कि आप एक दो-दिन बाद में आकर मेरे से मिलना जिस पर मैं वहा से वापस आ गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कहा कि जैसे ही संदिग्ध अधिकारीगण आपसे सम्पर्क करते हैं आप तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क कर रिश्वती राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आवें। तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 25.09.2024 समय 04.14 पी.एम. पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर अवगत कराया कि मैं सोमवार दिनांक 30.09.2024 को संदिग्ध अधिकारीगण से मिलने चौमूं तहसील कार्यालय में जाउँगा तथा मेरे पास कुछ रिश्वती राशि की भी व्यवस्था हो चुकी है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को दिनांक 30.09.2024 को कुछ रिश्वती राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय आने तथा गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत की गई। प्रकरण में अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता हैं, जिस पर मन् पुलिस

निरीक्षक द्वारा श्री हिमान्षु शर्मा, कनिष्ठ सहायक व श्री महेन्द्र कुमार कानि. नं. 372 को हिदायत की कि दो स्वतंत्र गवाहान दिनांक 30.09.2024 समय 9.30 ए.एम पर ब्यूरो मुख्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबंद करें। दिनांक 28.09.2024 समय 08.09 ए.एम.पर श्री हिमान्षु शर्मा, कनिष्ठ सहायक से जरिये दूरभाष बात की तो उसने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि उपायुक्त, नगर निगम गे्रटर जयपुर कार्यालय से श्री प्रवीण कुमार, कनिष्ठ सहायक व श्री मोहम्मद शाहीद फारूकी, चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी को दिनांक 30.09.2024 को कार्यालय समय में ब्यूरो मुख्यालय में उपस्थित होने बाबत पाबंद किया गया है, जो दिनांक 30.09.2024 को उपस्थित आ जायेगें। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान के मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर पाबन्द किया। दिनांक 30.09.2024 समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री कैलाष चंद मीणा एवं पूर्व के पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहम्मद शाहीद फारूकी, चतुर्थ श्रैणी कार्यालय नगर निगम गे्रटर, जयपुर से उपस्थित कार्यालय आये, जिन्हे बिठाया गया। परिवादी ने अपनी कृषि भूमि के आधौगिक रूपान्तरण हेतु तहसील कार्यालय चौमूं में किये गये दोनों आवेदनों की ई-मित्र से प्राप्त प्रिन्ट आउट की स्वहस्ताक्षरित प्रति 1 लगायत 6 पेज पेष की जिन्हे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। अब तक की कार्यवाही से संदिग्धों के द्वारा परिवादी की जमीन का औधौगिक उपयोग हेतू रूपान्तरण करने की एवज में रिश्वत की मांग किया जाना प्रमाणित पाया गया हैं। अतः परिवादी श्री कैलाश चंद मीणा का तलबशुदा श्री मोहम्मद शाहीद फारूकी पुत्र श्री मोहम्मद खालिद फारूकी ,उम्र-38 साल, निवासी- प्लाट न0 50 रहीमन कॉलोनी, आमेर खाटर, पुलिस थाना आमेर जयपुर हाल-राजस्व ऑफिस, चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी, कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपर एवं श्री प्रवीण शर्मा पुत्र श्री संतोष कुमार शर्मा, उम्र- 37 साल, निवासी- मकान न0- बी 56, संजय कॉलोनी आरपीए रोड पानीपेच, जयपुर हाल- कनिष्ठ सहायक, कार्यालय फायर शाखा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर से परिचय करवाया जाकर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में अवगत कराया जाकर दोनों को कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने के लिए कहा तो दोनों ने अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। दोनों ने प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 01.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कैलाश चन्द मीना को दिनांक 10.09.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया परिवादी श्री कैलाश चन्द मीना ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि 38,500/-रूपये, जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 77 नोट कुल 38,500/- रूपये एवं 61,500/-रूपये भारतीय मनोरंजन बैंक के पांच-पांच सौ रूपये के 123 नोट प्रत्येक नोट डीयूके 616850 नम्बर के कुल इक्कसठ हजार पांच सौ रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। परिवादी ने कहा कि मेरे पास अभी 38,500/-रूपये ही हैं मैंने सुन रखा है कि डमी नोट लगाकर भी ए.सी.बी अपनी कार्यवाही करती है, इसलिए मैं 61,500/-रूपये के डमी नोट लाया हूॅ। जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये तथा रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले भारतीय मनोरंजन बैंक के सभी 123 नोटों के एक समान नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार से है- डीयूके 616850 उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री महेन्द्र कुमार कानि.नं.372 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त रिश्वती राशि 1,00,000/-रूपये जिनमें (भारतीय प्रचलित मुद्रा) के पांच-पांच सौ रूपये के 77 नोट राशि 38,500/-रूपये एवं 61,500/-रूपये भारतीय मनोरजंन बैंक के 123 नोट प्रत्येक नोट डीयूके 616850 नम्बर के कुल इक्कसठ हजार पांच सौ रूपये के नोटों पर श्री महेन्द्र कुमार कानि. नं. 372 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री मौहम्मद शहीद फारूकी से परिवादी श्री कैलाश चन्द मीणा की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन एवं उनकी स्वयं की गाड़ी की चाबी के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री महेन्द्र कुमार कानि. नं. 372 उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 1,00,000/-रूपये जिनमें (भारतीय प्रचलित मुद्रा) के पांच-पांच सौ रूपये के 77 नोट राशि 38,500/-रूपये एवं 61,500/-रूपये भारतीय मनोरजंन बैंक के 123 नोट प्रत्येक नोट डीयूके 616850 नम्बर के कुल इक्कसठ हजार पांच सौ रूपये संदिग्ध अधिकारीगण/कर्मचारी को देने हेतु परिवादी के पहने हुए पेंट की सामने की बांयी जेब में रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को तब तक नहीं छुयेगा जब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावें दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नम्बर [redacted] पर मिसकॉल/फोन कर तथा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करे। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्री महेन्द्र कुमार कानि. नं. 372 के

हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट किया गया तथा श्री महेन्द्र कुमार कानि. नं. 372 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपने शर्ट की उपर की जेब में रखे आवश्यकता पडने पर ही अपने फोन से बात करें। परिवादी को संदिग्ध अधिकारीगण व उसके मध्य रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर रिश्वत मांग सत्यापन के वक्त काम में लिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था को बाहर निकालकर सुपुर्द किया गया तथा श्री महेन्द्र कुमार कानि. नं. 372 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। इस कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.40 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री सुभाष मील, हैड कानि.35 श्री धर्म सिंह कानि0 न0 249, श्री रमजान कानि0 न0 466, श्री कमलेश कुमार हैड कानि0 74, श्री विनोद कुमार कानि. नं.242, श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक कानि. चालक श्री जयराम के मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 8775 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटाप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से चौमूं को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री कैलाष चंद मीणा, स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहम्मद शाहीद फारूकी, चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी मय श्री मनीष सिंह, कानि. नं. 486 के परिवादी की गाड़ी से गोपनीय कार्यवाही हेतू तहसील कार्यालय चौमूं को रवाना हुआ। समय 04.40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री कैलाष चंद मीणा, स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहम्मद शाहीद फारूकी, चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी मय श्री मनीष सिंह, कानि. नं. 486 के परिवादी की गाडी से गोपनीय कार्यवाही हेतू तहसील कार्यालय चौमूं से पहले पट्रोल पम्प के पास वाली गली में पहुॅचे, जहा पर श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री सुभाष मील, हैड कानि.35 श्री धर्म सिंह कानि0 न0 249, श्री रमजान कानि0 न0 466, श्री कमलेश कुमार हैड कानि0 74, श्री विनोद कुमार कानि. नं.242, श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक कानि. चालक श्री जयराम के मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 8775 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटाप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के उपस्थित मिले। जिस पर गाड़ीयों को साईड में खड़ा करवाकर तहसील कार्यालय के आस-पास की जगह का अवलोकन किया गया। समय 4.38 पी.एम पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारीगण को रिश्वती राशि देने हेतू संदिग्ध अधिकारीगण के पास जाने से पहले रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जो परिवादी के पास में है को श्री मनीष सिंह, कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारीगण के पास जाने हेतू तहसील कार्यालय को रवाना किया गया। तत्पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान टे्रप पार्टी सदस्य तथा स्वतंत्र गवाहान भी परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर तहसील कार्यालय के पास पहुॅच तहसील कार्यालय के अन्दर एवं बाहर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईषारे में मुकीम हुये । समय 04.50 पी.एम पर परिवादी तहसील कार्यालय से निकलकर धीरे-धीरे बाहर आया तथा पूर्व निर्धारित कोई ईषारा नहीं करने पर मन् पुलिस निरीक्षक तहसील कार्यालय से बाहर आकर परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री मनीष सिंह, कानि. नं. 486 को प्राप्त कर बंद किया जाने को कहा। श्री मनीष सिंह, कानि. नं. 486 ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर बंद किया व मुझे सुपुर्द किया। तत्पष्चात परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री कालुराम यादव, तहसीलदार चौमूं के रीडर ने मुझसे रिश्वती राशि प्राप्त नहीं की है तथा कहा कि आपकी जमीन का पट्टा जारी कर दिया है आप पट्टा ई-मित्र से प्राप्त कर सकते हैं इतना कहकर वहाॅ से चला गया एवं बताया की पूर्व में तहसील में कार्यरत गिरदावर ने इन लोगों को मेरे बारे में सूचित कर दिया था कि इसके द्वारा पूर्व में भी ट्रेप की कार्यवाही करवाई गई है सम्भवतया इन लोगों को इस कारण मेरे उपर शक हो गया है। अतः उक्त लोग अब मेरे से कोई रिष्वती राषि प्राप्त नहीं करेगें। समय 05.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहम्मद शाहीद फारूकी, चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी, श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री सुभाष मील, हैड कानि. 35 श्री धर्म सिंह कानि0 न0 249, श्री रमजान कानि0 न0 466, श्री कमलेश कुमार हैड कानि0 74, श्री विनोद कुमार कानि. नं.242, श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक कानि. चालक श्री जयराम के मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 8775 फार्स टे्वलर से मय लेपटाप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के ब्यूरो मुख्यालय को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री कैलाष चंद मीणा, मय श्री मनीष सिंह, कानि. नं. 486 के परिवादी की गाड़ी से ब्यूरो मुख्यालय को रवाना हुआ। समय 06.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री कैलाष चंद मीणा, मय श्री मनीष सिंह, कानि. नं. 486 एवं श्री

सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मोहम्मद शाहीद फारूकी, चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी, श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री सुभाष मील, हैड कानि.35 श्री धर्म सिंह कानि0 न0 249, श्री महेन्द्र कुमार कानि0 न0 372, श्री रमजान कानि0 न0 466, श्री कमलेश कुमार हैड कानि0 74, श्री विनोद कुमार कानि. नं.242, श्री हिमान्षु शर्मा, कनिष्ठ सहायक कानि. चालक श्री जयराम के मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 8775 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटाप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आये। रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया तथा संदिग्ध अधिकारीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि परिवादी के पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब से स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण शर्मा से निकलवायी जाकर अखबार में लपेटकर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। तत्पष्चात स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को दिनांक 01.10.2024 को कार्यालय समय में ब्यूरो मुख्यालय आने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 01.10.2024 को समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी श्री कैलाष चंद मीणा तथा स्वतंत्र गवाहान श्री मोहम्मद शाहीद फारूकी उपस्थित कार्यालय आये, जिन्हे बैठाया गया। तत्पष्चात परिवादी श्री कैलाष चंद मीणा ने एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में तहसील कार्यालय चौमूं संदिग्ध अधिकारीगण को ए.सी.बी. की ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण अब ट्रेप कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख करते हुए अपने द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्वत राषि 38,500/- रूपये एवं भारतीय मनोरजंन बैंक के 123 नोट राषि 61,500/-रूपये को लौटाने का निवेदन किया गया हैं। हालात चौकी प्रभारी को अवगत करवाये गये। समय 12.10 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण शर्मा भी कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि निगम कार्यालय में काम होने से थोड़ा विलम्ब हो गया, गवाह को बैठाया गया। चूंकि संदिग्ध अधिकारीगण को ए.सी.बी. की ट्रेप कार्यवाही भनक लग चुकी हैं। अब ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं हैं। अतः गवाह श्री मोहम्मद शाहीद फारूकी से कार्यालय की अलमारी से रिश्वत में दी जाने वाली राषि निकलवाई जाकर नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर साफ करवाया जाकर नोटों को गिनवाया जाकर 38,500/- रूपये एवं भारतीय मनोरजंन बैंक के 123 नोट राषि 61,500/-रूपये परिवादी श्री कैलाष चंद मीणा को सुपूर्द कर प्रार्थना पत्र पर रसीद प्राप्त की गई और गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.30 पी. एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी के समक्ष डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड दिनांक 10.09.2024 व दिनांक 11.09.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा ट्रेप कार्यवाही दिनांक 30.09.2024 को परिवादी व आरोपी श्री कालुराम यादव के मध्य हुई वार्ताऐं लेपटाप के माध्यम से दोनों गवाहान के समक्ष चलाकर परिवादी को सुनाई जाकर उक्त में रिकार्ड वार्ता में आवाज की पहचान परिवादी श्री कैलाष चंद मीणा से करवाई तथा उक्त रिकॉर्ड वॉयस क्लिपों की फर्द वार्ता रूपान्तरण मूर्तिब किया जाना प्रारम्भ किया गया। समय 05.30 पी.एम. तक रिकॉर्ड वार्ताओं की पहचान परिवादी कैलाश चंद मीणा द्वारा की जाकर एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाजें आरोपीगण श्री कालुराम यादव हाल- रीडर कार्यालय-तहसीलदार चौमूं तथा दूसरी आवाज श्री विजयपाल विष्नोई, तहसीलदार चौमूं की होने की पहचान करना स्वीकार किया। उक्त वार्तालापों को लेपटॉप की सहायता से सुनकर परिवादी से पूछ-पूछ कर सम्बंधित वॉयस क्लिप से शब्द ब शब्द मिलान किया तथा वार्ताओं का रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लेपटॉप से जोड़कर उक्त रिकार्ड वार्ताओं की वाईस क्लिप को बारी-बारी से पॉच अलग-अलग सीडियों में राईट/बर्न किया गया। वॉयस क्लिप्स सी.डी. में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर सभी पांच सीडियों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग सी.डी मार्क ए.1(न्यायालय प्रति) ए.2 (अभियोजन प्रति) ए.3 (आरोपी प्रति) ए. 4 (आरोपी प्रति) मार्क ए.5 (आईओ कापी) क्रमशः अंकित किये गये। सी.डी. मार्क ए.1 (न्यायालय प्रति) की हैश वैल्यू निकाली गई। उक्त सीडी में से चार सीडी मार्क ए.1 ए .2 मार्क ए.3 एवं मार्क ए.4 को अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग-अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। मार्क ए.1 ए .2 मार्क ए.3 एवं मार्क ए.4 को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। सीडी मार्क ए.5 (आईओ कापी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे उक्त मेमोरी कार्ड, जिसमें उक्त सभी वार्ताओं की वॉयस क्लिप सेव है की हैश वैल्यू निकाली गई। मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की डिब्बी में डालकर उक्त माचिस की डिब्बी को सफेद कपडें की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का एसडी अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट का रूपान्तरण मेरे निर्देषन में श्री मनीष सिंह, कानि. नं. 486 द्वारा परिवादी से पूछ-पूछ कर किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से 1-श्री विजयपाल विश्नोई पुत्र श्री कृष्ण लाल उम्र- 36 वर्ष निवासी ग्राम सरदारपुरा बीका,तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर मूल पद नायब तहसीलदार हाल-कार्य व्यवस्थार्त तहसीलदार चौमूं, जिला-जयपुर तथा 2- श्री कालूराम यादव पुत्र श्री मुक्ति राम यादव उम्र-40 वर्ष निवासी-ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर हाल-वरिष्ठ लिपिक, तहसील कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर के द्वारा परिवादी श्री कैलाश चंद मीणा की कृषी भूमि प्रगती नया बास(मण्डा भिण्डा त. चौमूं के खसरा न. 1844/960 में से 2500 मी भूमि का व्यावसायिक व 10000 मीटर भुमि का औधोगिक भूमी का रूपांतरण करने की एवज में 8 लाख रूपये की अनुचित लाभ के रूप में मांग करना पाया गया। परिवादी श्री कैलाश चंद मीणा के

प्रार्थना पत्र पर की गई गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से परिवादी के वैध कार्य की एवज में आरोपीगण 1-श्री विजयपाल विश्नोई तथा 2- श्री कालूराम यादव द्वारा परस्पर मिलीभगत करते हुये रिश्वत राशि की मांग करने का उक्त दोनों का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगण 1-श्री विजयपाल विश्नोई पुत्र श्री कृष्ण लाल उम्र-36 वर्ष निवासी ग्राम सरदारपुरा बीका,तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर मूल पद नायब तहसीलदार हाल-कार्य व्यवस्थार्त तहसीलदार चौमूं, जिला-जयपुर तथा 2- श्री कालूराम यादव पुत्र श्री मुक्ति राम यादव उम्र-40 वर्ष निवासी-ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर हाल-वरिष्ठ लिपिक, तहसील कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय को प्रेषित है। (रघुवीर शरण) निरीक्षक पुलिस विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, निरीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1-श्री विजयपाल विश्नोई पुत्र श्री कृष्ण लाल उम्र-36 वर्ष निवासी ग्राम सरदारपुरा बीका,तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर मूल पद नायब तहसीलदार हाल-कार्य व्यवस्थार्त तहसीलदार चौमूं, जिला-जयपुर तथा 2- श्री कालूराम यादव पुत्र श्री मुक्ति राम यादव उम्र-40 वर्ष निवासी-ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर हाल-वरिष्ठ लिपिक, तहसील कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र पंचौली, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.आई.डब्ल्यू, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 147 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1421-25 दिनांक 12-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2-निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, जयपुर। 3- जिला कलक्टर, जयपुर। 4-उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): SURENDRA PANCHOLI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/11/2024 10:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/09/1988				
2	Male	03/01/1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)